न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

(16)

विविध वाद सं0–05/2016–17

आदेश

प्रथम पक्ष :– वासुदेव ओझा पिता स्व0 विन्देश्वर ओझा, सा0–रानीपोखर, थाना–हरला, जिला–बोकारो।

–बनाम–

द्वितीय पक्ष :– 1. अंचल अधिकारी,चास, 2. राखोहरि ओझा, 3.सुशील कुमार ओझा दोनो पिता स्व0 रामपद ओझा, 4.अश्विनी ओझा, 5.अशोक ओझा दोनो पिता स्व0 प्रफुल कुमार ओझा, 6.सरत कुमार ओझा, 7.असीत कुमार ओझा, 8.निशित कुमार ओझा, 9.अजित कुमार ओझा सभी पिता स्व0 देवेन्द्र नाथ ओझा पिता शरद चन्द्र ओझा, सभी सा0–पुनर्वास क्षेत्र, जोधाडीह मोड़, गुरूद्वारा रोड, चास, थाना–चास, जिला–बोकारो।

अनुसूची 14–फारम सं0 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
22/10/2021	वर्तमान विविध वाद की कार्यवाही वासुदेव ओझा पिता स्व0 विन्देश्वर ओझा, सा0– रानीपोखर, थाना–हरला, जिला–बोकारो द्वारा मौजा– रानीपोखर, खाता नं0– 453, प्लॉट नं0– 5962, 5976, 5960, 5975, 5979, 5999, 6000, 6008, 6002, 6004, 6005, 6007, 6013, 6001, रकवा–15.96 एकड़ एवं खाता नं0–456, प्लॉट नं0– 5971, 6006, 5972, 5961, 5973, 5974, 5977, रकवा–2.61 एकड़ अर्थात कुल रकवा– 18.57 एकड़ भूमि का द्वितीय पक्ष के नाम से चल रही जमाबन्दी रद्द करने हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष अपने आवेदन में कहा है कि मौजा रानीपोखर के अंतर्गत खाता सं0– 453 एवं 456 रकवा 18.57 एकड़ भूमि खीरूबाला देवी पति स्व0 मुरारी ओझा को Mortage Suit No- 79/1927 एवं जारी वाद सं0 73/1928 के आधार पर प्राप्त सम्पति है। विपक्षी खाता सं0– 453 एवं 456 अनुसूचि में वर्णित भूमि को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदक को उत्तराधिकारी सूत्र से 1928 से लगातार दखल कब्जा में है। इन्होनें यह भी कहा है कि विपक्षी अंचल कार्यालय से मिलीभगत कर जमाबंदी कायम कर राजस्व रसीद निर्गत करवा रहे हैं जो जाली एवं फर्जी है। अन्त में अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन मंगवाकर विपक्षी के नाम से चल रहा जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। द्वितीय पक्ष अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित कथन दाखिल किया। इन्होनें कहा है कि वाद चलने योग्य नहीं है। यह वाद मर्यादा अधिनियम एवं प्रागन्याय सिद्धान्त के विरूद्ध संधारित किया गया जो गलत, गुमराह एवं क्षेत्राधिकार से बाहर है। उक्त भूमि को विमलानन्द ओझा ने उपेन्द्र नाथ ओझा, प्रबोधवाला देवी एवं शांतिमय देवी को 1937 में बन्दोबस्त किया गया। तत्पश्चात् उपेन्द्र नाथ ओझा के हिस्से की भूमि को राखोहरि ओझा पंजीकृत केवाला सं0– 15150 दिनांक 29.11.1961 में बिकी किया जिसपर कच्चा, पक्का मकान बनाकर 1961 से दखल में होने का उल्लेख किया। आवेदक का आवेदन गलत, झुठा, बनावटी फर्जी, एवं गहरी साजिस के तहत निर्मित है। इन्होनें आवेदक के वर्णित कंडिका 2 एवं 3 के प्रत्युत्तर में कहा है कि खीरूबाला देवी के द्वारा Title Mortage Suit No- 79/1927 एवं Execution Case No- 73/1928 नही दाखिल किया गया तथा कार्यालय में मिलीभगत कर फर्जी पुरूलिया कोर्ट से	

(17)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

दस्तावेज बना लिया जिसके सहारे विपक्षी से पैसे ऐठना एवं जमीन हड़पने का प्रयास किया गया। जमींदारी उन्मुलन के पूर्व एवं पश्चात् 90 वर्षों से दखल कब्जे में होने का उल्लेख किया है। इन्होनें यह भी कहा है कि अनुसूचि में वर्णित भूमि से खाता 453 प्लॉट 6007 विधु तेली, देबुलाल महतो, गंगाधर महतो, प्लॉट संख्या 6013 झरी महतो एवं अन्य प्लॉट नं0 5979, 5976, 5999 एवं 6008 देबुलाल महतो एवं अन्य खाता संख्या 453 प्लॉट नं0 5971 एवं 5972 देबुलाल महतो एवं अन्य को बिकी किया। सभी केतागण दखलकार होकर अपना–अपना अलग–अलग राजस्व का भुगतान कर रहे हैं। यह भी कहा है कि विपक्षी सं0 5 अशोक झा की मृत्यु 2019 एवं विपक्षी सं0 9 एवं 10 अजीत कुमार झा एवं शांतिमयी देव्या की मृत्यु 2017 में हो चुकी है। जिन्हें पक्षकार बनाया गया। अतः वाद चलने योग्य नहीं है। खाता सं0 453 एवं 456 कुल रकवा 18.57 एकड़ मुरारी ओझा के नाम खतियान नहीं है। विपक्षी सं0 2,4 एवं 11 के द्वारा राधानाथ झा, महेश कु0 झा, अजय कु0 झा, पारस कुमार के विरूद्ध हरला थाना कांड सं0177/2013 धारा 463, 464, 467, 468, 471 आई0पी0सी0 के तहत् संधारित किया गया। I.O. के द्वारा Judge Incharge Civil Court Purulia के द्वारा Mortage Suit No- 79/1927 के संबंध में उक्त वाद की Entry संबंधी पंजी नहीं होने का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। इन्होने यह भी कहा है कि बासुदेव ओझा एवं अन्य के द्वारा T. S. No- 110/2013 दाखील किया गया परन्तु वाद में Order 23 Rule 1 C.P.C. के तहत (in view of the aforesaid facts and circumstances of the case the petition filed by the plaintiff U/o 23 R1 CPC is allowed in the interest of justice. The plaintiffs are permitred to withdraw the suit. It is further orderd that the plaintiff shall not bring fresh suit with regard to the suit property in future.) आदेश पारित करते हुए वाद वापस ले लिया गया जिसमें आवेदक के अन्य हिस्सेदारों ने अपने किसी भी प्रकार के स्वत्व को मना करते हुए विपक्षी का 90 वर्षों से हक, स्वत्व एवं दखल कब्जा होने की स्वीकृति प्रदान किया है। पुनः बासुदेव ओझा के द्वारा सब जज बोकारो के न्यायालय में O.S. 75/2016 दाखिल किया गया। यह भी कहा है कि T. S. No- 110/2013 एवं O.S. 75/2016 के आदेशानुसार उक्त भूमि पर कोई मामला/मुकदमा विधि अनुसार पुर्णतः बाधित है। विपक्षी के द्वारा दाखिल जवाब एवं बहस के पश्चात् दिनांक 12.03.2019 को वाद खारीज कर दिया गया। प्रथम पक्ष झुठा वाद दायर कर द्वितीय पक्ष की भूमि को जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। अंत में वाद को समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 908 दिनांक 16.04.2021 के द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें रानीपोखर अंतर्गत खाता सं0 453 प्लॉट नं0 5962 एवं अन्य रकवा 15.96 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में रैयति आबाद मालिक बिमलानन्द ओझा को बताया गया जबकि खाता सं0 456 प्लॉट नं0 5971 एवं अन्य रकवा 2.61 एकड़ भूमि गैरआबाद मालिक दर्ज होने का उल्लेख किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, दाखिल कागजातों, जांच

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तारीख

प्रतिवेदन एवं लिखित कथन/लिखित बहस का अवलोकन किया। मौजा रानीपोखर खाता सं0 453 एवं 456 प्लॉट नं0 5962 एवं अन्य सर्वे खतियान में विमलानन्द ओझा के नाम से दर्ज है, जिन्होनें 1937 में द्वितीय पक्ष के पूर्वज उपेन्द्र नाथ ओझा एवं अन्य को बन्दोबस्त कर दिया। उपेन्द्र नाथ ओझा नें राखोहरि ओझा को केवाला सं0 15150 दिनांक 29.11.1961 द्वारा बिकी किया तथा राखोहरि ओझा एवं अन्य ने विभीन्न व्यक्तियों को बिकी किया, जो खरीदने के बाद दखल कब्जा में है। पुनः प्रथम पक्ष के द्वारा T. S. No- 110/2013 सब जज बोकारो में दाखील करना एवं सक्षम न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित करना (in view of the aforesaid facts and circumstances of the case the petition filed by the plaintiff U/o 23 R1 CPC is allowed in the interest of justice. The plaintiffs are permitred to withdraw the suit. It is further orderd that the plaintiff shall not bring fresh suit with regard to the suit property in future.) तथा वाद वापस लिया जाना, द्वितीय पक्ष का 90 वर्षों से दखल कब्जा, हक, स्वामित्व को स्वीकार करना एवं सब जज बोकारो के न्यायालय में O.S. 75/2016 दाखिल किया जिसे 12.03.2019 को न्यायालय द्वारा खारीज कर दिया जाना। द्वितीय पक्ष के उक्त भूमि पर दखल कब्जा होने की पुष्टि करता है। पुनः आवेदक के द्वारा Written Argument के कंडिका 3 में अनुसूचि में वर्णित भूमि को विमलानन्द ओझा के नाम से कहा है जबकि मूल आवेदन में उक्त भूमि खीरूबाला देवी के नाम से होने का उल्लेख किया है, जो आपस में विरोधाभाष है। साथ ही अंचल अधिकारी, चास द्वारा भी अपने जांच प्रतिवेदन में कायम जमाबंदी को रद्द करने संबंधी कोई अनुशंसा नहीं किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि का जमाबंदी द्वितीय पक्ष के नाम से चल रहा है जिसे रद्द करने का आदेश देना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः प्रथम पक्ष के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित/संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।

Digitally signed by Jemes Surin
Date: 2023.01.02 13:02:34 +05:30
Location: 192.168.1.39